रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 91] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

IndiaCode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 125(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित कतिपय प्रारूप नियम, अर्थात् पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 को ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 6 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 12 जून, 2013 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में ---

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(घक) "प्रकृत व्यक्ति से भिन्न" में "लघु अस्तित्व" शामिल होगी।'

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(चक) "लघु अस्तित्व" से निम्न अभिप्रेत है- (i) वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन लगे हुए किसी उद्यम के मामले में, एक उद्यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27)" की धारा 7 की उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो; और (ii) सेवा प्रदान या उपलब्ध कराने वाले किसी उद्यम के मामले में, एक उद्यम जहाँ उपस्कर में किया गया निवेश "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" की धारा 7 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : 1.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "उद्यम" से ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई व्यावसायिक समुत्थान या कोई अन्य स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में, किसी रीति से लगा हुआ है या किसी ऐसे उद्योग में कोई सेवा या सेवाओं को उपलब्ध कराने या उन्हें प्रदान कराने में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण: 2.- संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश की संगणना में प्रदूषण नियंत्रण, शोध और विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: 3.- भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की निर्देश दर अभिभावी होगी।'

3. मूल नियम के नियम 7 में - उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(i) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंधों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परन्तु यह कि जब कोई पेटेंट के लिए आवेदन या अन्य कोई दस्तावेज़ भौतिक रूप में अर्थात् मुद्रित प्रति के रूप विधान में फाइल किया जाता है, तो दस प्रतिशत अतिरिक्त फीस संदेय होगा।

परन्तु यह और कि किसी लघु अस्तित्व के संदर्भ में प्रत्येक दस्तावेज़, जिसके लिए कोई फीस विहित है, प्ररूप-28 के साथ संलग्न होगा।"

(ii) "(3क) किसी लघु अस्तित्व द्वारा प्रक्रियागत आवेदन को पूर्णत: या अंशत: किसी प्रकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (लघु अस्तित्व के सिवाय) को हस्तांतरित करने की स्थिति में उसी मामले में किसी लघु अस्तित्व से प्रभारित फीस (फीसों) और किसी प्रकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (लघु अस्तित्व के सिवाय) से प्रभार्य फीस (फीसों) के परिमाण में अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान नए आवेदक द्वारा हस्तांतरण के अनुरोध के साथ किया जाएगा।"

4. मूल नियम के नियम 55 के उप-नियम (1) में "फाइल किए जाएंगे" शब्द के पश्चात् "प्ररूप 7 (क) में" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किये जाएंगे।

5. मूल नियम की पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"पहली अनुसूची

(नियम 7 देखें)

फीस

प्रविष्टि संख्यांक	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप संख्यांक	ई-फाइलिंग के लिए			भौतिक रूप में फाइल करने के लिए		
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए		प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त फीस	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त फीस	
				लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए		लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/सम्पूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, धारा 54 और धारा 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर - (i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए; (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।	1	1600 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1600 के गुणजों में (i) 160 (ii) 320	4000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4000 के गुणजों में (i) 400 (ii) 800	8000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8000 के गुणजों में (i) 800 (ii) 1,600	1760 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1760 के गुणजों में (i) 176 (ii) 352	4400 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4400 के गुणजों में (i) 440 (ii) 880	8,800 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8,800 के गुणजों में (i) 880 (ii) 1760
2.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् सम्पूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों - (i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए; (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए के।	2	कोई फीस नहीं (i) 160 (ii) 320	कोई फीस नहीं (i) 400 (ii) 800	कोई फीस नहीं (i) 800 (ii) 1600	कोई फीस नहीं (i) 176 (ii) 352	कोई फीस नहीं (i) 440 (ii) 880	कोई फीस नहीं (i) 880 (ii) 1760
3.	धारा 8 के अधीन विवरण और वचनबंध फाइल करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम 13(6), नियम 80(1क) और नियम 130 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर।	4	480 प्रति मास	1200 प्रति मास	2400 प्रति मास	528 प्रति मास	1320 प्रति मास	2640 प्रति मास

MyiCode

5.	नियम 13(6) के अधीन आविष्कारवृत्ति के हैसियत में घोषणा फाइल करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर ।	-	800	2000	4000	880	2200	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन निर्देश को हटाने के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	880	2200	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर; (ii) धारा 20(4) या धारा 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6 6	800 800	2000 2000	4000 4000	880 880	2200 2200	4400 4400
9.	(i) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के लिए आवदेन फाइल करने पर;	7क	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
	(ii) धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने का विरोध की सूचना पर।	7	2400	6000	12000	2640	6600	13200
10.	नियम 62(2) के अधीन यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	--	1500	3750	7500	1650	4125	8250
11.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	2000	4000	880	2200	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम, 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	6250	12500	2750	6875	13750
13.	आवेदन के प्रकाशन के पूर्व धारा 11ख(4) और नियम 26(1) के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण के लिए आवेदन।	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
14.	पेटेंट आवेदन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर - (क) धारा 11ख और नियम 24(1) के अधीन; (ख) नियम 20(4)(ii) के अधीन।	18 4000 5600		10000 14000	20000 28000	4400 6160	11000 15400	22000 30800
15.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	6000	12000	2640	6600	13200
16.	धारा 51(1) या धारा 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर।	11	2400	6000	12000	2640	6600	13200
17.	धारा 26(1) या धारा 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	6000	12000	2640	6600	13200

IndiaCode

18.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर।	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
19.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण हेतु-							
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	880	2200	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सतरहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	सतरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत।	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000

IndiaCode

20.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/सम्पूर्ण विनिर्देश/अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13						
(i)	पेटेंट मंजूर करने से पूर्व;		800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	पेटेंट मंजूर करने के पश्चात् ;		1600	4000	8000	1760	4400	8800
(iii)	जहाँ संशोधन नाम/पता/ राष्ट्रीयता/सेवार्थ पता में संशोधन होना है।		320	800	1600	352	880	1760
21.	धारा 57(4), धारा (61)1 और धारा 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध की सूचना पर।	14	2400	6000	12000	2640	6600	13200
22.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	6000	12000	2640	6600	13200
23.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
24.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की सूचना पर।	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25.	धारा 69(1) या धारा 69(2) और नियम 90(1) या नियम 90(2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	1760 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4400 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8800 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)
26.	नियम 94(1) या नियम 118(1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्त्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर।	--	320	800	1600	352	880	1760
27.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में किसी अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए	--	800	2000	4000	880	2200	4400

indiCode

	अनुरोध पर।							
28.	धारा 84(1), धारा 91 (1), धारा 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर।	17	2400	6000	12000	2640	6600	13200
29.	धारा 85(1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर।	19	2400	6000	12000	2640	6600	13200
30.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	6000	12000	2640	6600	13200
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	6000	12000	2640	6600	13200
32.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	--	--	3520	--	--
33.	नियम 109(3) के अधीन अर्हक परीक्षा में बैठने के लिए अनुरोध पर।	--	1600	--	--	1760	--	--
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए- (i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली; (ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	- -	800 800	-- --	-- --	880 880	-- --	-- --
35.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पर।	--	1600	--	--	1760	--	--
36.	नियम 117(1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	23	1600 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--	1760 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--

IndiaCode

37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
38.	धारा 77(1)(च) या धारा 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय या आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवेदन पर।	24	1600	4000	8000	1760	4400	8800
39.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवदेन के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन पर।	25	1600	4000	8000	1760	4400	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन पर।	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
41.	धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोघ पर।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	--	800	2000	4000	880	2200	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74 (क) के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	--	320	800	1600	352	880	1760
44.	धारा 127, धारा 132 और धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	--	480	1200	2400	528	1320	2640
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ।	--	8	8	8	8	8	8
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस।	--	3200	8000	16000	3250	8800	17600

Indiacode

49.	पूर्वीकिता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
50.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण के संबंध में विवरण पर।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं

टिप्पण : सभी प्ररूप, आवेदन, अनुरोध, सूचना, अभ्यावेदन को अनुलिपि रूप में दाखिल किया जाना चाहिए, परंतु यह कि नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।"

6. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, "प्ररूपों की सूची" में –

(i) "प्ररूप संख्या 27", संख्या 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7क	धारा 25(1) और नियम 55(1)	धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन किसी पेटेंट अनुदत्त किए जाने का विरोध करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए।"

(ii) "प्ररूप संख्या 27" के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"28	नियम 2(च क) और 7	किसी लघु अस्तित्व द्वारा उस प्रत्येक दस्तावेज़ के साथ फाइल जिसके लिए फीस निर्दिष्ट है।"

7. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में, -

(i) प्ररूप 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप-7क

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

एवं

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के मंजूर करने पर विरोध के लिए अभ्यावेदन

[नियम 55 देखें]

IndiaCode

1.	नाम, पता और राष्ट्रीयता	मैं/हम---------- को प्रकाशित ---------- द्वारा किए गए दिनांक ----------की आवदेन संख्या---- ---------- के संबंध में पेटेंट मंजूर करने के विरोध के ---------- माध्यम से अभ्यावेदन करता हूँ/करते हैं।
2.	एक के पश्चात् दूसरे आधार का उल्लेख।	लिए गए आधार ----------
3.	पूरा पता डाक सूचक संख्या/कोड सहित और राज्य के दूरभाष और फैक्स नंबर के साथ।	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता है ---- ----------
4.	विरोध करने वाले या उनकी या उसके प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।	हस्ताक्षर ----------
5.	प्रकृत व्यक्ति का नाम जिन्होंने हस्ताक्षर किया है ।	(----------)

सेवा में,

नियंत्रक, पेटेंट

पेटेंट कार्यालय,

पता ------

(ii) प्ररूप 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप-28

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

एवं

पेटेंट नियम, 2003

किसी लघु अस्तित्व द्वारा दाखिल की जाने वाली

[नियम 2(चक) और 7 देखें]

1.नाम, पता और राष्ट्रीयता	मैं/हम----------अंत:स्थापित करें --- ---------- पेटेंट आवेदन संख्या / पेटेंट संख्या ---------- ----------के संबंध में आवेदक/ पेटेंटधारी यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम नियम 2(च क) के अनुसार एक लघु अस्तित्व हूँ/ हैं और सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
2. दस्तावेज़ का विवरण दें।	(i) छोटे, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अधीन रजिष्ट्रीकृत होने का साक्ष्य (भारतीय अस्तित्व के संदर्भ में)

IndiaCode

(ii.) कोई अन्य दस्तावेज़ (विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में)

3. आवेदक/पेटेंटी (पेटेंटधारी) प्राधिकृत रजिष्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिन्होंने हस्ताक्षर किया है तारीख----------

5. जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है उनका पदनाम और शासकीय मुहर, यदि कोई हो।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सेवा में,

नियंत्रक, पेटेंट

पेटेंट कार्यालय,

पता ------

टिप्पण : लघु अस्तित्व होने का दावा करने के योग्य होने के लिए भारतीय अस्तित्व ऊपर वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत करें।"

8. मूल नियम की चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"चौथी अनुसूची

[नियम 136(1) का उपबंध देखें]

प्रविष्टि संख्यांक	मामला जिसके संबंध में लागत दी जानी है	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए	
			लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के सिवाय अन्य के लिए
1	2	3	4	5
1.	धारा 25, धारा 57, धारा 60, धारा 63, धारा 78, धारा 87(2) या धारा 88(4) के अधीन विरोध की सूचना के लिए।	2400	6000	12000
2.	धारा 84(1), धारा 91(1) या धारा 92(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के लिए।	1500	3000	6000
3.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन के लिए।	2400	6000	12000
4.	नियम 62(2) के अधीन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के आशय की सूचना के लिए।	1500	3000	6000
5.	जहाँ किसी पेटेंट अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वहाँ मुखतारनामें के लिए स्टांप फीस या सुसंगत शपथ पत्रों के संबंध में स्टांप फीस।	वास्तविक रूप से संदत्त रकम	वास्तविक रूप से संदत्त रकम	वास्तविक रूप से संदत्त रकम

IndiaCode

6.	नियम 57 के अधीन लिखित कथन या नियम 58 के अधीन लिखित कथन या प्रत्येक शपथ पत्र, यदि सुसंगत हो, के लिए।	4000	4000	5000
7.	कार्यवाही में प्रस्तुत प्रकाशन के प्रत्येक दस्तावेज़, यदि सुसंगत हो, के लिए।	1600	1600	2000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धरण के लिए।	1600	1600	2000
9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिन या आंशिक दिन की सुनवाई के लिए।	4000	4000	5000".

[फा. सं. 14/6/2012-आई. पी. आर.-III]

डी. वी. प्रसाद,संयुक्त सचिव

पादटिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

(i) का. आ. 1418(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2004

(ii) का. आ. 657(अ) तारीख 5 मई, 2006;

(iii) का. आ. 2296(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2012

(iv) का. आ. 1029(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2013

IndianCode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February , 2014

G.S.R. 125(E).— Whereas certain draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2013 were published as required under sub-section (3) of Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), number G.S.R. 286(E), dated the 6th May, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 6th May, 2013, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 12th June, 2013;

And whereas, the objections and the suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

'(da) " person other than a natural person" shall include a "small entity" ' ;

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

(i) in case of an enterprise engaged in the manufacture or production of goods, an enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed the limit specified for a medium enterprise under clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and

(ii) in case of an enterprise engaged in providing or rendering of services, an enterprise where the investment in equipment is not more than the limit specified for medium enterprises under clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Explanation 1. – For the purpose of this clause, "enterprise" means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) or engaged in providing or rendering of any service or services in such an industry.

Explanation 2. - In calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety devices and such other things as may be specified by notification under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), shall be excluded.

Explanation 3. - The reference rates of foreign currency of the Reserve Bank of India shall prevail.'.

3. In rule 7 of the principal rules, -

(i) after sub rule (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

" Provided that ten per cent additional fee shall be payable when the applications for patent and other documents are filed through physical mode, namely, in hard copy format:

Provided further that in the case of a small entity, every document, for which a fee has been specified, shall be accompanied by Form-28.".

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:---

"(3A) In case an application processed by a small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person (except a small entity), the difference, if any, in the scale of fee(s) between the fee(s) charged from a small entity and the fee(s) chargeable from the person other than a natural person (except a small entity) in the same matter shall be paid by the new applicant with the request for transfer." ;

4. In sub- rule (1) of rule 55 of the principal rules, after the words "shall be filed", the words, figure, brackets and letter " in Form 7 (A)" shall be inserted.

5. For the First Schedule to the principle rules, the following Schedule shall be substituted, namely :---

"THE FIRST SCHEDULE

(See rule 7)

FEES

Number of entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing			For physical filing		
			For natural person (s)	For person other than natural person(s) either alone or jointly with natural person(s)		For natural person (s) with ten per cent additional fee	For person other than natural person(s) either alone or jointly with natural person (s) with ten per cent additional fee.	
				For small entity	For others except small entity		For small entity	For Others except small entity
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees

1.	On application for a patent under sections 7, 54 or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification— (i) for each sheet of specification in addition to 30; (ii) for each claim in addition to 10.	1	1600 Multiple of 1600 in case of every multiple priority. (i) 160 (ii) 320	4000 Multiple of 4000 in case of every multiple priority. (i) 400 (ii) 800	8,000 Multiple of 8,000 in case of every multiple priority (i)800 (ii) 1,600	1760 Multiple of 1760 in case of every multiple priority. (i) 176 (ii) 352	4400 Multiple of 4400 in case of every multiple priority. (i) 440 (ii) 880	8,800 Multiple of 8,800 in case of every multiple priority. (i) 880 (ii) 1760
2.	On filing complete specification after provisional upto 30 pages having up to 10 claims- (i) for each sheet of specification in addition to 30; (ii) for each claim in addition to 10.	2	No fee ((i) 160 (ii) 320	No fee (i) 400 (ii) 800	No fee (i) 800 (ii) 1,600	No fee (i) 176 (ii) 352	No fee (i) 440 (ii) 880	No fee (i) 880 (ii) 1760
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1 A) and 130.	4	480 per month	1200 per month	2400 per month	528 per month	1320 per month	2640 per month
5.	On filing a declaration as to inventorship under rule 13(6).	5	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	2000	4000	880	2200	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19 (2).	-	800	2000	4000	880	2200	4400
8.	(i) On claim under section 20(1); (ii) On request for direction under section 20 (4) or 20 (5).	6 6	800 800	2000 2000	4000 4000	880 880	2200 2200	4400 4400

IndiaCode

9.	(i) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1);	7A	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
	(ii) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2).	7	2400	6000	12000	2640	6600	13200
10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	3750	7500	1650	4125	8250
11.	On application under sections 28(2), 28(3) or 28(7).	8	800	2000	4000	880	2200	4400
12.	Request for publication under section 11A(2) and rule24A.	9	2500	6250	12500	2750	6875	13750
13.	Application for withdrawing the application under section 11B(4) and rule 26(1) before publication of the application	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
14.	On request for examination of application for patent— (a) under section 11B and rule24(1); (b) under rule 20(4)(ii).	18	4000 5600	10000 14000	20000 28000	4400 6160	11000 15400	22000 30800
15.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	6000	12000	2640	6600	13200
16.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	6000	12000	2640	6600	13200

IndiaCode

17.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	6000	12000	2640	6600	13200
18.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	--	2400	6000	12000	2640	6600	13200
19.	For renewal of a patent under section 53-							
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	2000	4000	880	2200	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	6000	12000	2640	6600	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	12000	24000	5280	13200	26400

IndiaCode

(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	12000	24000	5280	13200	26400
(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.		8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13						
(i)	before grant of patent;		800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	4000	8000	1760	4400	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	800	1600	352	880	1760

IndiaCode

21.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	6000	12000	2640	6600	13,200
22.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	6000	12000	2640	6600	13,200
23.	Additional fee for restoration.	--	4800	12000	24000	5280	13200	26400
24.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).	16	1600 (In respect of each patent)	4000 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1760 (In respect of each patent)	4400 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)
26.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agent under rules 94(1) or rule 118(1).	--	320	800	1600	352	880	1,760
27.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	--	800	2000	4000	880	2200	4,400
28.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91 (1), 92(1) and 92A.	17	2400	6000	12000	2640	6600	13200
29.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	6000	12000	2640	6600	13200

IndiaCode

30.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	6000	12000	2640	6600	13200
31.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	6000	12000	2640	6600	13200
32.	On application for registration as a patent agent under rule 109 (1) or 112.	22	3200	-	-	3520	-	-
33.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	--	1600	-	-	1760		-
34.	For continuance of the name of a person in the register of patent agent— (i) for the 1st year to be paid along with registration; (ii) for every year excluding the1st year to be paid on the 1st April in each year.	- -	800 800	- -	- -	880 880	- -	- -
35.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	-	1600	-	-	1760		-
36.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 34)	-	-	1760 (Plus continuation fee under entry number 34)	-	-
37.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	--	800	2000	4000	880	2200	4400

IndiaCode

38.	On application for review or setting aside the decisions or order of the controller under section 77(l) (f) or 77(l) (g).	24	1600	4000	8000	1760	4400	8800
39	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	4000	8000	1760	4400	8800
40	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800
41	On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133.	--	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2500 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page) thereafter)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2750 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page) thereafter)
42	For certifying office copies, printed each.	--	800	2000	4000	880	2200	4400
43	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	--	320	800	1600	352	880	1760
44	On request for information under sections 127, 132 and 153 and rule135.	--	480	1200	2400	528	1320	2640
45	On form of authorisation of patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
46	On petition not otherwise provided for.	--	1600	4000	8000	1760	4400	8800

IndiaCode

47	For supplying of photocopies of the documents per page.	--	8	8	8	8	8	8
48	Transmittal fee for International application.	--	3200	8000	16000	3250	8800	17600
49	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual Property Organisation.	--	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2500 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2750 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
50	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).	27	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee

Note: All the Forms, Applications, Requests, Notices and Petitions shall be filed in duplicate unless otherwise specified in the rules.

IndiaCode

6. In the Second Schedule to the principle rules, in the "LIST OF FORMS"—

(i) after "Form No. 7", the following shall be inserted, namely :—

"7A.	Section 25(1) and rule 55 (1)	For filing a representation opposing grant of a patent under sub-section (1) of section 25.";

(ii) after "Form No. 27", the following shall be inserted, namely :—

"28.	Rules 2(fa) and 7	To be submitted by a small entity with every document for which a fee has been specified".

7. In the Second Schedule to the principle rules,-

(i) after Form 7, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM 7A

THE PATENTS ACT, 1970 (39 OF 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

REPRESENTATION FOR OPPOSITION TO GRANT OF PATENT

[see rule 55]

1.	State names, address and nationality.	I/We,……. . ……. hereby give representation by way of opposition to the grant of patent in respect of application no……..dated……. made by…….. and published on …..……. ……
2.	State the grounds taken one after another.	on the grounds …….. …… …….
3.	Complete address including postal ……. index number/code and state along with telephone and fax number.	My/our address for service in India is …….. ……
4.	To be signed by the opponent or by his/her authorized registered patent agent.	Signature
5.	Name and designation of the natural person who has signed.	(……..)

To
The Controller of Patents,
The Patent Office,
At …… ." ;

(i) after Form 27, the following Form shall be inserted, namely :

"FORM 28
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
AND
THE PATENTS RULES, 2003
TO BE SUBMITTED BY A SMALL ENTITY

[See rules 2(fa) and 7]

Insert name, address and nationality.	I/We ……. ……. ……. applicant/patentee in respect of the patent application no. ……or patent no…… hereby declare that I/we am/are a small entity in accordance with rule 2(fa) and submit the following document(s) as proof:

IndiaCode

State the particulars of the documents.	(i.) Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006 (in case of Indian entities). (ii.) Any other document (in case of foreign entities).
To be signed by the applicant(s) / patentee (s) / authorised registered patent agent.	The information provided herein is correct to the best of my/our knowledge and belief.
Name of the natural person who has signed.	Dated this …….day of ……. 20...
Designation and official seal, if any, of the person who has signed.	Signature ……. (Name) ……. (Designation) **……**

To
The Controller of Patents,
The Patent Office,
At…….

Note: Indian entities shall submit the evidence mentioned above to be eligible for claiming the status of a small entity.".

8. For the Fourth Schedule to the principle rules, the following Schedule shall be substituted, namely :-

"THE FOURTH SCHEDULE

[See proviso to rule 136(1)]

Number of entry	Matter in respect of which cost to be awarded	Amount in fees (in rupees)		
		For natural person(s)	For person other than natural person(s) either alone or jointly with natural person (s)	
			For small entity	For others except small entity
1	2	3	4	5
1	For notice of opposition under sections 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) or 88(4).	2400	6000	12000
2	For application for compulsory licence under sections 84(1), 91(1) or 92(1).	1500	3000	6000
3	For application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4) .	2400	6000	12000
4	For notice of intention to attend the hearing under rule 62(2).	1500	3000	6000

5	Stamp fee for power of attorney where a patent agent or other person has been appointed or stamp fee in respect of relevant affidavits.	The amount actually paid.	The amount actually paid.	The amount actually paid.
6	For written statement under rule 57 or reply statement under rule 58 or for each affidavit, if relevant.	4000	4000	5000
7	For each document of publication produced in the proceedings, if relevant	1600	1600	2000
8	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation.	1600	1600	2000
9	For every day or part day of hearing before the Controller.	4000	4000	5000".

IndiaCode

[F.No. 14/6/2012-IPR-III]
D.V. PRASAD, Jt. Secy.

Footnote:- The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number S.O.493 (E), dated the 2nd May, 2003, and subsequently amended *vide* notification number –

(i) S.O.1418 (E), dated the 28th December, 2004;
(ii) S.O. 657 (E), dated the 5th May, 2006; and
(iii) S.O. 2296 (E), dated the 25th September, 2012.
(iv) S.O. 1029 (E), dated 23rd April, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.